श्री देवेन्द्र प्रताप सिंह, मा0 सदस्य विधान परिषद द्वारा विधान परिषद के प्रथम सत्र 2025 के प्रथम शुक्रवार हेतु निर्धारित तारांकित प्रश्न संख्या-11 का उत्तरालेख्य।

	प्रश्न	**उत्तर**
11(क)	क्या उप मुख्यमंत्री (ग्राम्य विकास) बतायेंगे कि जिलाधिकारी मऊ द्वारा पत्रांक संख्या-564/पीए-सीडीओ/जाँच/2024, दिनांक 19.03.2024 को दिए गए निर्देश के क्रम में मुख्य विकास अधिकारी मऊ द्वारा क्षेत्र पंचायत दोहरीघाट में राज्य वित्त व केन्द्रीय वित्त योजना मे बिना कार्य कराए अनियमित भुगतान किए जाने संबंधी शिकायत की जाँच करने हेतु त्रि-सदस्यीय समिति की जॉच आख्या उपलब्ध कराने के आदेश प्रदान किए गए है?	जिलाधिकारी, मऊ के आदेश दिनांक 18-03-2024 के क्रम में मुख्य विकास अधिकारी, मऊ के आदेश संख्या-564/पीए-सीडीओ/जॉच/2024, दिनांक 19-03-2024 द्वारा परियोजना निदेशक, जिला ग्राम्य विकास अभिकरण, मऊ की अध्यक्षता में त्रिसदस्यीय जांच समिति गठित की गयी।
(ख)	जॉच समिति द्वारा जॉच कब पूर्ण कर, जॉच आख्या जिलाधिकारी को उपलब्ध करायी गयी है?	आदेश संख्या-564, दिनांक 19-03-2024 द्वारा परियोजना निदेशक, जिला ग्राम्य विकास अभिकरण, मऊ की अध्यक्षता में गठित जांच समिति द्वारा दिनांक 06-04-2024 को अपनी जांच रिपोर्ट मुख्य विकास अधिकारी, मऊ को प्रस्तुत की गयी। प्रस्तुत रिपोर्ट पर जिलाधिकारी के निर्देश दिनांक 16-04-2024 के क्रम में सम्बन्धित संयुक्त खण्ड विकास अधिकारी का पक्ष प्राप्त किया गया।

संयुक्त खण्ड विकास अधिकारी द्वारा प्रस्तुत पक्ष की पुष्टि हेतु जिलाधिकारी के निर्देश दिनांक 25-06-2024 के क्रम में मुख्य विकास अधिकारी, मऊ के आदेश दिनांक 01-07-2024 द्वारा पुनः परियोजना निदेशक, जिला ग्राम्य विकास अभिकरण, मऊ की अध्यक्षता में त्रि-सदस्यीय जांच समिति गठित की गयी। जांच समिति द्वारा दिनांक 09-09-2024 को जांच पूर्ण कर अपनी जांच आख्या मुख्य विकास अधिकारी, मऊ को प्रस्तुत की गयी।

(ग) जाँच रिपोर्ट में क्या निष्कर्ष आया, जाँच रिपोर्ट सदन की मेज पर रखेंगे?

जॉच समिति द्वारा प्रश्नगत प्रकरण की जांच में निम्न अनियमिताएं पायी गयीं हैं :-

1- विकास खण्ड दोहरीघाट की 14 ग्राम पंचायतों में कुल 255 स्ट्रीट लाईट लगाये जाने के सापेक्ष जांच में 225 स्ट्रीट लाईट लगी पायी गयीं तथा 30 स्ट्रीट लाईट मौके पर नहीं पायी गयी। बिल के अनुसार प्रति स्ट्रीट लाइट मु0 3870.00 रू0 की दर से कुल मु0 1,16,100.00 रू0 का भुगतान बिना कार्य कराये पाया गया।

2- विकास खण्ड दोहरीधाट की 32 ग्राम पंचायतों में कुल 625 डस्टबीन लगाये जाने के सापेक्ष जांच में 466 डस्टबीन पायी गयीं तथा 159 डस्टबीन मौके पर नहीं पायी गयी। बिल के अनुसार प्रति डस्टबीन मु0 4799.00 रू0 की दर से कुल 159 डस्टरबीन का मू0 7,63,041.00

का भुगतान डस्टबीन लगाये बिना ही किया जाना पाया गया।

3- विकास खण्ड दोहरीघाट अन्तर्गत ग्राम पंचायतों में 05 खड़न्जा मरम्मत का कार्य पूर्व में गठित त्रिसदस्यीय जांच समिति की जांच के बाद कराया गया है, जबकि भुगतान पूर्व में गठित जांच समिति की जांच के पूर्व ही हो गया था, इससे स्पष्ट है कि यदि इन कार्यों की जांच नहीं हुई होती तो कार्यदायी संस्था द्वारा की गयी वित्तीय अनियमितता प्रकाश में नहीं आयी होती।

(घ) जाँच रिपोर्ट के आधार पर दोषियों के विरूद्ध कब तक कार्यवाही करा दी जाएगी?

जांच समिति द्वारा प्रस्तुत जांच रिपोर्ट में इंगित वित्तीय अनियमितताओं के दृष्टिगत जिलाधिकारी, मऊ द्वारा अपने आदेश संख्या 809 दिनांक 09-10-2024 द्वारा दुरूपयोगित कुल धनराशि रूपये-8,79,141.00 को प्रकरण में अन्तर्ग्रस्त निम्नलिखित कार्मिकों से प्रत्येक से बराबर-बराबर धनराशि रूपये-2,93,047.00 की वसूली आदेश पारित किया गया है:-

1- श्री कमलेश कुमार राय, तत्कालीन संयुक्त खण्ड विकास अधिकारी, मऊ सम्प्रति खण्ड विकास अधिकारी, कुशीनगर।

2- श्री योगेन्द्र वर्मा, अवर अभियन्ता, लघु सिंचाई, मऊ।

3- श्री नागेन्दर यादव, अवर अभियन्ता ग्रामीण अभियन्त्रण विभाग, मऊ।

उपरोक्तानुसार धनराशि वसूली के आदेश के साथ-साथ प्रकरण में अन्तर्ग्रस्त उपरोक्त उक्त अधिकारियों के विरूद्ध आरोप पत्र निर्गत करते हुए अनुशासनिक कार्यवाही संस्थित की गयी है, जिसके क्रम में जांच की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है एवं जांच रिपोर्ट प्रतीक्षित है।

(ड़) यदि नहीं, तो क्यों? उपरोक्तानुसार।

केशव प्रसाद मौर्य
उप मुख्य मंत्री।